शेफ रफी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

अप्रेल 24, 2007

न्यायाधिपति एस.बी.सिन्हा और न्यायाधिपति मार्कडेय काटजू

भारतीय दण्ड संहिता 1860--धारा 300 'तीसरा' तथा धारा 302--हत्या-- आरोपी द्वारा मृतक का पीछा किया गया तथा लगातार 19 चोटें चाकू से कारित की गई। चोटें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर थी; निर्णय, चाकू का अंधाधुंध प्रयोग किया गया, चोटें क्रूर व अप्रायिक रीति से कारित की गई, 19 चोटें लगातार गंभीर व अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप नहीं कारित की जाती। यह तथ्य कि, मृतक निहत्था व असहाय स्थिति में था और चोटें मृतक के शरीर पर लगातार कारित की गई, ही पर्याप्त है कि उक्त स्थिति पर धारा 300 'तीसरा' भारतीय दण्ड संहिता आकर्षित होगी। हत्या का आरोप साबित हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी के सम्बन्ध में विवाद के संदर्भ में अपीलार्थी और उसके भाई के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अपीलार्थी ने चाकू हाथ में लेकर उसका पीछा किया और अंधाधुंध चाकू मारकर उसको घायल कर दिया। उक्त चोटें

घातक साबित हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

इस न्यायालय ने अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी उत्तरदायी है या नहीं।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः-

1.1 हालाँकि, किसी दिए गए मामले में, मृतक के शरीर पर लगी चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं हो सकती है, परन्तु वह सुसंगत होती है। अपीलकर्ता द्वारा 19 चोटें पहुंचाई गई हैं, जैसा कि शव परीक्षण सर्जन द्वारा पाया गया था। हमारी राय में चोटों की प्रकृति और मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि चाकू का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया था। मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों छाती, पेट पर चोटें आई हैं। उनका फेफड़ा और लीवर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। [पैरा संख्या 12 व 13] [471-A,B;472-D]

1.2 मृतक का स्पष्टतः इरादा मृतक को गंभीर चोट पहुँचाने का था। जहां तक संभव हो सका, उसने इसका विरोध किया और इस दौरान उसकी बांहों, उंगली और जांघ पर चोटें आईं।मृतक निहत्था था. वह केवल चाकू से उसे घायल करने का विरोध कर रहा था और इस प्रक्रिया में अपीलकर्ता को

भी मामूली चोटें आईं और वह भी उसकी जांघ, हथेली और कंधे पर। अपीलकर्ता को आई ऐसी मामूली चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा संख्या 14 व 15] [472-E,F]

2.घटना अपीलकर्ता के घर या उसके आसपास नहीं हुई। हो सकता है कि मृतक ने सुबह अपनी मां से झगड़ा किया हो, लेकिन इसे अपराध की प्रकृति का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300 के बीच अंतर सर्वविदित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यह बताया गया है कि "हत्या" की श्रेणी क्या होगी । उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता था कि कार्य इतना आसन्न खतरनाक है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लगने की पूरी संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। [पैरा संख्या 16 व 17] [472-F,G; 473-A]

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य[1], वडला चंद्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [2]और चंद्रप्पा और अन्य बनाम कनार्टक राज्य [3]

3.1 प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ की विशिष्ट विशेषता वे चोटें हैं जो क्रूर और

---

[1] ए.आई.आर. (1958) एस.सी. पेज 465

[2] (2006) 14 स्केल 108

[3] (2007) 3 स्केल 90

असामान्य तरीके से लगाई गई हैं। मृतक द्वारा अपनी मां के साथ किए गए कथित झगड़े के अलावा, कोई अन्य तात्कालिक उकसावे की बात नहीं है जिसे हमले का तात्कालिक कारण कहा जा सके। मृतक का पीछा किया गया और उसे मुख्य सड़क पर चोटें पहुंचाई गईं और वह भी एक अस्पताल के सामने। यह शाम को बड़ी संख्या में लोगों के सामने हुआ। उसे केवल एक सिपाही ही पकड़ सकता था और निहत्था कर सकता था। जाहिर तौर पर पीडब्लू-5 और पीडब्लू-7 सहित अन्य जो इस घटना को देख रहे थे, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की। [पैरा संख्या 19 व 21] [474-D; 475-B,C]

सुखबीर सिह बनाम हरियाणा राज्य[4]

3.2 एक के बाद एक की गई उन्नीस चोटों को गंभीर और अचानक उकसावे का परिणाम नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य कि एक के बाद एक इतनी सारी चोटें लगी थीं और विशेष रूप से जहां मृतक निहत्था था और असहाय स्थिति में था, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर धारा 300 थर्डली आकर्षित होती है।

अभियोजन पक्ष ने यह अपील अपीलार्थी के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष लाई है।

---

[4] (2002) 3 एस.सी.सी. पेज 327

रामस्वरूप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य आदि[5]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारःआपराधिक अपील संख्या 616/2007

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के आपराधिक अपील संख्या 2632 वर्ष 2004 में निर्णय तथा आदेश दिनांकित 28.03.2006,

पी.एच.पारेख, ललित चौहान, मैरी मिट्टी, (मैसर्स पी.एच पारेख एंड कम्पनी के लिए) अपीलार्थी की ओर से।

डी.भारती रेड्डी, स्नेहा भास्करन और पी.विनय कुमार, उत्तरदात्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

एस.बी.सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यहां अपीलकर्ता और मृतक ने कहा कि शेख बाजी भाई थे। पीडब्लू-3 (अब्दुल मुनाफ) और पीडब्लू-4 (शेख अब्दुल गौस) भी भाई थे। पीडब्लू-2 अपीलकर्ता और मृतक की मां है। वे आंध्र प्रदेश राज्य के तेनाली शहर के नंदुला पेठ गांव के निवासी हैं। यह परिवार एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक था। मृतक उक्त कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर स्थित दुकान के एक कमरे में अपना पंप मरम्मत का व्यवसाय चला रहा था। मृतक

[5] (1993) 4 एससीसी 344

कथित तौर पर संयुक्त संपत्ति के बंटवारे पर जोर दे रहा था। उस दुर्घटना वाले दिन यानी 9.11.1998 की सुबह, उन्होंने कथित तौर पर संपत्ति में अपने हिस्से को लेकर पीडब्लू-2 के साथ झगड़ा किया। ऐसा करने से इनकार करने पर कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की गई. कथित तौर पर उस दिन शाम करीब 5 बजे मृतक और अपीलकर्ता के बीच झगड़ा भी हुआ था। अपीलार्थी ने चाकू लेकर उसका पीछा किया। मृतक भागकर तेनाली अस्पताल के कैजुअल्टी रूम के सामने आ गया, जिसके बाद कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने उसे पकड़ लिया और अंधाधुंध चाकू मारकर उसे घायल कर दिया।

3.पीडब्लू-1 (पी. सुब्बाराव), पट्टाबीपुरम पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक कांस्टेबल, जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तो उसने सड़क पर कुछ लोगों को इकट्ठा होते देखा, और अपीलकर्ता को मृतक पर चाकू से वार करते देखा। कोंडुरी श्रीधर (पीडब्लू-7) नामक उप-विभागीय पुलिस अधिकारी से जुड़ा एक ड्राइवर भी घटनास्थल पर आया। पीडब्लू-1 ने अपीलकर्ता को पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। श्रीधर (पीडब्लू-7) द्वारा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को घटना के बारे में सूचित किया गया।

4.मृतक का इलाज अस्पताल के कैजुअल्टी स्टाफ द्वारा किया गया। हालाँकि, पीडब्लू-1 को उनकी मृत्यु के बारे में लगभग 10 मिनट बाद पता चला। इसके बाद, तेनाली पुलिस स्टेशन के प्रभारी, श्री के. वेंकटराव,

पीडब्लू-15, ने घटना स्थल का दौरा किया। अपीलकर्ता को उसे सौंप दिया गया और पीडब्लू-1 द्वारा एक लिखित शिकायत दर्ज की गई। जिस चाकू से वारदात को अंजाम दिया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है. उक्त घटना के संबंध में, प्रथम सूचना रिपोर्ट शाम लगभग 6.30 बजे दर्ज की गई।

5.जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और अंततः अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया।

6.इस घटना को अन्य बातों के अलावा पीडब्लू-5 (कोटा बोसु बाबू) और पीडब्लू-7 (कोंडुरी श्रीधर) ने भी देखा था। घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी और उसका चश्मदीद गवाह होना विवाद में नहीं है। हालाँकि, अपीलकर्ता के भाइयों, पीडब्लू-3 और पीडब्लू4 और उनकी माँ पीडब्लू-2 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया, जिसका कारण स्पष्ट है।

7.उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता को उक्त अपराध करने का दोषी पाया और उसकी अपील खारिज कर दी।

8.इस न्यायालय ने अपराध की प्रकृति के संबंध में एक सीमित नोटिस जारी किया था।

9.अपीलार्थी की और से उपस्थित विद्वान वकील श्री पी.एच.पारेख ने कहा कि अपीलकर्त्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत

अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है , बल्कि केवल धारा 304 के भाग- II के तहत ही ऐसा कहा जा सकता है। यह आग्रह किया गया कि अपराध की प्रकृति का निर्धारण करने के उद्देश्य से घटनाओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि मृतक ने सुबह अपनी मां और अपीलकर्ता के साथ शाम को संपत्ति के बंटवारे के सम्बन्ध में झगड़ा किया था। यह भी बताया गया कि मृतक एक उपद्रवी व्यक्ति था।

10.हालाँकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आक्षेपित निर्णय का समर्थन करेंगे।

11.इसलिए, हमारे सामने विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्त्ता केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग-2 के तहत अपराध करने का दोषी था, न कि धारा 302 के तहत।

12.हालाँकि, किसी दिए गए मामले में, मृतक के शरीर पर लगी चोटों की संख्या निर्णायक कारक नहीं हो सकती है, परन्तु वह सुसंगत होती है। अपीलकर्ता द्वारा 19 चोटें पहुंचाई गई हैं, जैसा कि शव परीक्षण सर्जन द्वारा पाया गया था, जो हैं;

1. दाहिनी कलाई के सामने 5" ऊपर मौजूद कटा हुआ घाव, आकार 1"x 1/2"x1/4" क्षैतिज और एंटीमॉर्टम।

2. दाहिनी कोहनी के नीचे 2" पीछे की तरफ 5" x 2" x1/2 " क्षैतिज एंटीमॉर्टम के आकार में कटा हुआ घाव मौजूद है।

3. दाहिनी कोहनी के जोड़ से 2" नीचे 2" x 1" x 1/2" तिरछा एंटीमोर्टम का कटा हुआ घाव मौजूद है।

4. दाहिनी बांह के ऊपरी आधे हिस्से में 2" x 1" x 1" क्षैतिज एंटीमॉर्टम आकार का कटा हुआ घाव मौजूद है।

5. दाएं अधिजठर क्षेत्र में 2" x 1/2"x1/2 " तिरछे एंटीमॉर्टम के आकार में मौजूद कटा हुआ घाव।

6. दाहिने घुटने से 2" नीचे 4" x 2" x 2" क्षैतिज एंटीमॉर्टम पर एक कटा हुआ घाव मौजूद है।

7. दाहिनी जाँघ के पिछले भाग के बीच में 4" x 2" x 2" ऊर्ध्वाधर एंटीमॉर्टम का कटा हुआ घाव।

8. दाएं कटि क्षेत्र में 3" x 2" x 1" तिरछा एंटीमॉर्टम मौजूद एक कटा हुआ घाव।

9. एक कटा हुआ घाव दाहिने घुटने के जोड़ के पिछले हिस्से में 2" x2" x 1/2" ऊर्ध्वाधर एंटीमॉर्टेम मौजूद है।

10. बाएं हाथ के अंगूठे पर 1" x 1/2" एंटीमॉर्टम से पहले एक खरोंच मौजूद है।

11. बायीं तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच 2" x 2" आकार का एक कटा हुआ घाव।

12. एक कटा हुआ घाव मध्य बाईं बांह के मध्य भाग 1" x 1" क्षैतिज एंटीमॉर्टेम में मौजूद है।

13. बाएं कंधे के पीछे एक कटा हुआ घाव 2" x 1/2" x 1/2" एंटीमॉर्टम।

14. ऊपर छाती के बायीं ओर और निपल 1"x1/2" x2 क्षैतिज एंटीमॉर्टम मर्मज्ञ प्रकार का कटा हुआ घाव मौजूद है।

15. बायीं कांख के नीचे मौजूद कटा हुआ घाव 3/4"x 1/2" x 1/2" लंबवत।

16. कटा हुआ घाव बाएं अधिजठर क्षेत्र में उभरी हुई आंतों के साथ मौजूद है।

17. बाएं ingiunal क्षेत्र में 3" x 1" x 2" ऊर्ध्वाधर एंटीमॉर्टम मौजूद एक कटा हुआ घाव।

18. बायीं जाँघ के निचले आधे हिस्से में बाएँ घुटने से 3" ऊपर एक कटा हुआ घाव है। 4" x 2" x 1" ऊर्ध्वाधर एंटीमॉर्टम।

19. कटा हुआ घाव बायीं जांघ के पार्श्व पहलू पर मौजूद है 1" x 1/2" x 1/2" लंबवत एंटीमोर्टम।"

13.हमारी राय में चोटों की प्रकृति और मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि चाकू का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया था। मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों छाती, पेट पर चोटें आई हैं। उनका फेफड़ा और लीवर भी क्षतिग्रस्त हो गया था।

14.मृतक का स्पष्टतः इरादा मृतक को गंभीर चोट पहुँचाने का था। जहां तक संभव हो सका, उसने इसका विरोध किया और इस दौरान उसकी बांहों, उंगली और जांघ पर चोटें आईं।

15.मृतक निहत्था था. वह केवल चाकू से उसे घायल करने का विरोध कर रहा था और इस प्रक्रिया में अपीलकर्ता को भी मामूली चोटें आईं और वह भी उसकी जांघ, हथेली और कंधे पर। अपीलकर्ता को आई ऐसी मामूली चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं थी।

16.घटना अपीलकर्ता के घर या उसके आसपास नहीं हुई। हो सकता है कि मृतक ने सुबह अपनी मां से झगड़ा किया हो, लेकिन इसे अपराध की प्रकृति का निर्धारण करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और धारा 300 के बीच अंतर सर्वविदित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यह बताया गया है कि "हत्या" की श्रेणी क्या होगी । उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि यदि कार्य करने वाला

व्यक्ति जानता था कि कार्य इतना आसन्न खतरनाक है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट लगने की पूरी संभावना है जिससे मृत्यु होने की संभावना है।

17. उक्त नियम के अपवाद तभी लागू होंगे जब अपराधी अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है जो मृतक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक उकसावे के कारण, या गलती या दुर्घटना के कारण होता है। धारा 300 से जुड़े अपवाद उसमें निहित प्रावधानों के अधीन हैं। विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य[6] में विवियन बोस, जे. ने कानून को इस प्रकार बताया;

> "(12) संक्षेप में, अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, "तीसरा";
>
> सबसे पहले, स्थापित करना होगा कि शारीरिक चोट मौजूद है;
>
> दूसरी बात, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए; ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ जांच हैं।
>
> तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था, यानी कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था।

---

[6]एआईआर 1958 एससी 465

एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है और,

चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी जिस प्रकार की चोट का वर्णन किया गया है, वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

(13) एक बार जब ये चार तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित कर दिए जाते हैं (और, निश्चित रूप से, सारा बोझ अभियोजन पर होता है) तो अपराध धारा 300 के तहत हत्या है , "तीसरा", इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो (ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर है)। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस तरह के कृत्य से मृत्यु होने की संभावना होगी। एक बार जब शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा वास्तव में मौजूद पाया जाता है, बाकी जांच पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होती है और एकमात्र सवाल यह है कि क्या चोट की

प्रकृति ऐसी है कि मौत का कारण हो सकती है या नहीं। यदि वे इस प्रकार की चोटें पहुंचाते हैं, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे; और वे केवल तभी बच सकते हैं जब यह दिखाया

जा सके, या उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चोट आकस्मिक थी या अन्यथा अनजाने में हुई थी। "

18.वडला चंद्रैया बनाम एपी राज्य[7] में, इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार बताया, "13। मुद्दा यह है कि क्या मामला आईपीसी की धारा 302 या उसकी धारा 304 भाग-2 के तहत आएगा या नहीं। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, 'रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य' शब्द पर संपूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिए।" चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य[8] में भी न्यायालय द्वारा यह निष्पादित किया गय।

19.इसलिए, प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

20.श्री पारेख द्वारा सुखबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य[9] ने इस न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया है।

---

[7] 2006 (14) स्केल 108

[8] 2007 (3) स्केल 90

[9] (2002) 3 एससीसी 327

"आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ न लेने के उद्देश्य से सभी घातक चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु को क्रूर या असमान्य नहीं कहा जा सकता। चोट लगने और घायल व्यक्ति के गिर जाने के बाद, अपीलकर्त्ता को यह नहीं दिखाया गया है कि जब घायल व्यक्ति असहाय स्थिति में था तो अपीलकर्त्ता ने उसके शरीर पर अन्य चोट पहुंचाई थी। यह साबित हो गया है कि अचानक हुए झगड़े और मारपीट के जोश में आरोपी, जो भालों से लैस था, ने बेतरतीब ढंग से चोटें पहुंचाई और इस तरह क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया।"

21.जाहिर तौर पर उक्त निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर दिया गया था। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि वडला चंद्रैया (सुप्रा) में इस पर विचार किया गया था, यहाँ की विशिष्ट विशेषता वे चोटें हैं जो क्रूर और असामान्य तरीके से लगाई गई हैं। मृतक द्वारा अपनी मां के साथ किए गए कथित झगड़े के अलावा, कोई अन्य तात्कालिक उकसावे की बात नहीं है जिसे हमले का तात्कालिक कारण कहा जा सके। मृतक का पीछा किया गया और उसे मुख्य सड़क पर चोटें पहुंचाई गईं और वह भी एक अस्पताल के सामने। यह शाम को बड़ी संख्या में लोगों के सामने हुआ। उसे केवल एक सिपाही ही पकड़ सकता था और निहत्था कर सकता था। जाहिर तौर

पर पीडब्लू-5 और पीडब्लू-7 सहित अन्य जो इस घटना को देख रहे थे, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं की।

22.एक के बाद एक की गई उन्नीस चोटों को गंभीर और अचानक उकसावे का परिणाम नहीं कहा जा सकता। यह तथ्य कि एक के बाद एक इतनी सारी चोटें लगी थीं और विशेष रूप से जहां मृतक निहत्था था और असहाय स्थिति में था, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि यहाँ पर धारा 300 थर्डली आकर्षित होती है।

23.श्री पारेख द्वारा राम स्वरूप और अन्य बनाम हरियाणा राज्य आदि[10] के प्रकरण में आत्मरक्षा के अधिकार की दलील दी गई थी। इसी मामले में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गयी. रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय ने इस सवाल के संबंध में द्विपक्षीय झड़प के मामले में निर्णय लेने के लिए गलत दृष्टिकोण अपनाया कि कौन सी पार्टी आक्रामक थी। उसमें उठाए गए बचाव की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अर्थात। आत्मरक्षा के अधिकार में, चोटों की संख्या यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक नहीं पाई गई कि अभियोजन पक्ष या आरोपी पक्ष हमलावर था। इस न्यायालय ने केवल यह निर्धारित किया कि प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अत: उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता।

[10] 1993 पूरक। (4) एससीसी 344

24.इसलिए, हमारी राय है कि अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ता के खिलाफ हत्या के आरोप को साबित करने के लिए, सामग्री को रिकॉर्ड पर लाया है।

25.इसलिए इस अपील को तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शिव कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।